न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

Eviction Appeal –03/2016–17
साफूज मियाँ
बनाम
दांदू हेम्ब्रम

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
02.02.2023	**आदेश** यह अपीलवाद अपीलकर्त्ता साफुज मियॉं एवं माफिल मियॉं, दोनो के पिता– स्व0 रामतुल्ला मियॉं, सा0–गायबथान, थाना–महेशपुर, जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के आर0ई0आर0 वाद सं0–07/2011–12 में दिनांक–18.09.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध 1. दांदु हेम्ब्रम, 2. प्रेमराल हेम्ब्रम, दोनो के पिता–रावण हेम्ब्रम एवं 3. फुलमुनी हेम्ब्रम, पिता–कलम हेम्ब्रम, सा0–गायबथान, थाना–महेशपुर, जिला–पाकुड़ को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है। मामला संक्षेप में यह है कि महेशपुर अंचल के मौजा गायबथान के जमाबंदी सं0–12 के दाग सं0–1812 एवं दाग सं0–1813 अन्तर्गत रकवा 12–13 कट्ठा से अपीलकर्त्तागण साफुज मियॉं एवं मफिल मियॉं को उच्छेद किये जाने के विरूद्ध अपील किया गया है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया। अपीलकर्त्तागण के द्वारा दाखिल लिखित बहस का अवलोकन किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। मौजा–गायबथान के जमाबंदी नं0–12 के दाग सं0–1812 अन्तर्गत रकवा 00–03–13 धुर तथा दाग सं0–1813 के अन्तर्गत रकवा 02–05–07 धुर जमीन खतियान में निंबई हेम्ब्रम एवं चॉंदू हेम्ब्रम के नाम से दर्ज है। विपक्षीगण उक्त खतियानी रैयत के वंशज है। प्रश्नगत भूमि अविक्रयशील एवं अहस्तांतरणीय है। अपीलकर्त्ता का प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है, ये बाहरी व्यक्ति है। अपीलकर्त्ता द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत नही किया जा सका, जिसके आधार पर अविक्रयशील एवं अहस्तांतरणीय मौजा में उनके दखल को उचित ठहराया जा सके। अतः विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी के निर्णय में हस्तक्षेप का कोई कारण न पाते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें। लेखापित एवं संशोधित। उपायुक्त, पाकुड़	

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.04.27 15:10:39 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:34cb:8006:3557:abab

Scanned with CamScanner